राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

चौडा रास्ता मे हुये ब्लाईन्ड मर्डर का पर्दाफाश, हत्यारा गिरफ्तार

जयपुर, 11 जनवरी। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर उत्तर के माणक चौक थाना पुलिस द्वारा सन 2013 मे स्टाईल टेलर की गली चौडा रास्ता मे हुई व्यापारी रामबाबू जायसवाल की हत्या का खुलासा कर हत्या करने वाले को गिरफ्तार किया है।

पुलिस कमिश्नर श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 25.08.2013 को विनोद जायसवाल ने स्टाईल टेलर की गली चौडा रास्ता मे एक रिपोर्ट अपने भाई रामबाबू जायसवाल को उनकी दुकान के अन्दर सिर मे चोट मारे जाने के कारण एसएमएस अस्पताल मे भर्ती होने की दर्ज कराई व बताया कि मेरे भाई की दुकान मे गद्दी के स्थान पर मसनद पर काफी खून फैला हुआ है। चोट से खून के साथ बाल भी पडे थे। दुकान मे 586 ग्राम चांदी व 104 ग्राम सोना व 1,20,000रूपये डिब्बे मे रखे थे। मेरे भाई को जान से मारने की नियत से किसी ने चोट मारी है। जिस पर प्रकरण संख्या 266/13 धारा 307, आईपीसी मे दर्ज कर तफ्तीस शुरू की गई। दौराने ईलाज रामबाबू जायसवाल की मृत्यु हो जाने मे मामले मे धारा 302 आई.पी.सी. जोडी जाकर तफ्तीस की गई।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सरेआम बाजार मे हुई उक्त व्यापारी की हत्या के कारण व्यापारियो मे आक्रोश व्याप्त हो गया था। जिसको देखते हुये तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा अपने समय पर टीम बनाकर के वारदात के खुलासे का हर संभव प्रयास किया परन्तु मामले में किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलने पर व प्रकरण के काफी समय व्यतीत हो जाने पर वर्तमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रथम श्री गोपाल स्वरूप मेवाडा व सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक जयपुर श्री बृजेन्द्र सिंह भाटी के निर्देशन में थानाधिकारी माणक चौक श्री चैनाराम बेडा पु0नि0 ,श्री हरीओम सिंह हैड कानि0 760 , श्री अशोक कुमार हैड कानि0 471 , श्री अशोक सिंह हैड कानि0 441, श्री मोहम्मद इस्लाम कानि0 7356 , श्री रामनारायण कानि0 2771 श्री ओमपाल सिंह कानि0 8643 व श्री कैलाश चन्द कानि0 8296 की टीम बना कर टीम को प्रारम्भ से ही कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। आसूचना संकलन के दौराने **श्री अशोक कुमार हैड कानि0 471 व श्री मोहम्मद इस्लाम कानि0 7356** को सूचना मिली की उक्त वारदात घटनास्थल पर घटना के दिन बाहर खडी मोटर साईकिल न0 आर. जे. 14 जे.बी. 0608 के मालिक समर बंगाली ने अंजाम दिया है। जो घटना के बाद से ही फरार चल रहा हैं। जिसकी तलाश ही गई। आज दिनांक 11.01.2018 को श्री अशोक कुमार हैड कानि0 471 व श्री मोहम्मद इस्लाम कानि0 7356 द्वारा सुमर मांझी उर्फ समर मांझी पुत्र श्री जटाय उम्र 28 साल निवासी गांव परशुराम पोस्ट कालिका पुर थाना कटुआ जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल हाल किरायेदार गोविन्द का मकान न0 ए/100 जें.ई.सी.आर.सी. कालेज के पीछे प्रताप नगर जयपुर को काफी तलाश के बाद दस्तयाब किया जाकर थाने पर लाकर पुछताछ की गई तो उसने इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। जिससे गहनता से पुछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबुल किया।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गिरफ्तार शुदा मुल्जिम समर बंगाली ने पुछताछ पर बताया कि मृतक रामबाबु जायसवाल सोने चांदी खरीदने व रूपये ब्याज पर देने का काम करता था। घटना के 5–6 महिने पहले सुमर बंगाली रामबाबु जायसवाल के पास चांदी का सामान बेंचने जाने के कारण आपस में जान पहचान हो गई थी, उसके पश्चात समर बंगाली को रूपये की आवश्यकता होने पर उसने अपनी पल्सर मोटर साईकिल न0 आर. जे. 14 जे.बी. 0608 को रामबाबु जायसवाल के पास ब्याज पर गिरवी रखी थी। काफी समय तक समर बंगाली ने न तो रामबाबु को ब्याज के रूपये दिये, ना ही मूल रकम लौटाई जिसके कारण रामबाबु लगातार समर बंगाली से बार–बार उधारी के रूपये मांग रहा था। जब उसने उधार की रकम नहीं लौटाई तो समर बंगाली घटना के दिन रात्रि करीब 9 बजे रामबाबु जायसवाल की दुकान पर आया रूपये व ब्याज के पैसो की बात को लेकर दोनो में आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौराने आपस मे दोनो कें गाली गलौच हुई और इससे सुमर मांझी को गुस्सा आ गया और गुस्से मे रामबाबु जायसवाल को धक्का देकर मसनद पर गिरा दिया व उसके सिर में हथोडे से चोटे मार दी। खून ज्यादा बहता देख समर बंगाली वहां से फरार हो गया समर बंगाली की तलाश हेतु पूर्व में भी पुलिस पार्टिया इसके गांव भेजी गई थी, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद से ही समर बंगाली फरार चल रहा था। जिसको आज दिनांक 11.01.2018 को गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल की।